न्यायालय:—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के न्यायालय के तृतीय अति. व्यवहार न्यायाधीश, जिला अशोकनगर म0प्र0 समक्ष—अक्षत तायल

सिविल प्रकरण क्र.—27ए/17 संस्थापन दिनांक—28.01.2016

 गणेशराम पुत्र शोभाराम, जाति ब्राह्मण, आयु– 87 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, निवासी– पोस्ट ऑफिस के सामने तिलक मार्ग, अशोकनगर म0प्र0।

--- वादी

विरुद्ध

- 01— गौरांग पुत्र स्व0 कैलाशनारायण त्रिपाठी, आयु— 29 वर्ष
- 02— शिवांग पुत्र स्व0 कैलाशनारायण त्रिपाठी, आयु— 24 वर्ष
- 03— अमरावती वेवा पत्नी स्व0 कैलाशनारायण त्रिपाठी, आयु— 58 वर्ष, समस्त जाति— ब्राह्मण, समस्त निवासीजन— भगवती लॉज के सामने, यादव साहब का मकान अस्पताल चौराहा ईसागढ़ रोड़, अशोकनगर म0प्र0।
- 04— अवधनारायण पुत्र स्व० चिंतामणी, आयु— 54 वर्ष, जाति— ब्राह्मण, निवासी— एफ०सी०आई० के पास, श्री एस०एन० सक्सेना का मकान, प्रोफेसर कॉलोनी राजमाता चौराहा, ईसागढ़ रोड, अशोकनगर म०प्र०।

----प्रतिवादीगण

वादी द्वारा	श्री रविन्द्र सोनी अधिवक्ता
प्रतिवादी क0 01 लगा0 03 द्वारा	श्री गौरांग त्रिपाठी अधिवक्ता
प्रतिवादी क0 04 द्वारा	श्री डी0 के0 पाराशर अधिवक्ता

आ दे श

(आज दिनाँक – को पारित किया गया)

- 1. इस आदेश द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी पी सी दिनांक 30.06.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदक / वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा आवेदन में व्यक्त किया है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होकर वादी के पिता स्व0 पंडित शोभाराम की भूमि होकर अविभाजित कृषिभूमि है जिसमें पंडित शोभाराम जी के तीन पुत्र क्रमशः चिंतामणी, वादी गणेशराम एवं दुर्गाप्रसाद का 1/3, 1/3 बराबर का हिस्सा है। प्रतिवादीजन ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर शासकीय रिकॉर्ड में फर्जी इंद्राज कराया है एवं वादी का कोई हिस्सा दर्ज नहीं कराया एवं प्रतिवादीजन वादी के 1/3 हिस्से को प्लॉट काटकर विक्रय करने हेतु प्रयासरत् हैं। यदि प्रतिवादीजन ने वादी के हिस्से का विक्रय कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की है।
- 3. प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन के जबाव में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि पंडित शोभाराम जी के समस्त वारिसानों में सम्पत्ति का विभाजन पूर्व में हो चुका है एवं सभी वारिसान अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। वादी को राजस्व दस्तावेजों की जानकारी पूर्व से है एवं उसके द्वारा कभी भी उक्त इंद्राज को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं है एवं बंटवारा हो चुका है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

- 4. आवेदन के निराकरण के लिये मुख्य रूप से न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है :--
- (1) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- (2) क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- (3) क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने से उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?

सकारण निष्कर्ष

प्रथम दृष्टया मामला:-

- 5. प्रथमदृष्टया मामले से तात्पर्य है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ऐसा कोई विवाद का बिन्दु है जिसे न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना हो। अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये वादी को प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित करना होता है। वादी द्वारा यह वाद ग्राम पारासरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 148 रकबा 0.982 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्रमांक 158 रकबा 0.167 हैक्टेयर कुल रकबा 1.149 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्रमांक 155 रकबा 1.055 हैक्टेयर एवं ग्राम पछारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 144 रकबा 0.375 हैक्टेयर के संबंध में वाद लाया गया है एवं वादी द्वारा यह तथ्य भी बताया गया है कि उक्त सभी वादग्रस्त भूमियां वादी के पिता पंडित शोभाराम की होने से पैतृक संपत्ति है जिसमें पंडित शोभाराम के तीनों पुत्रों वादी गणेशराम, चिंतामणी एवं दुर्गाप्रसाद का 1/3, 1/3 बराबर का हिस्सा है।
- 6. प्रतिवादीगण द्वारा जबाव में व्यक्त किया है कि पंडित शोभाराम के समस्त वारिसानों के मध्य बंटवारा हो चुका है एवं सभी वारिसान अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं व वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति नहीं रही। प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को कहीं भी अस्वीकार नहीं किया है कि वादी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं रहा है एवं उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उभयपक्ष स्व0 पंडित शोभाराम की संतानें हैं। ऐसी स्थिति में जबिक उभयपक्ष पंडित शोभाराम की संतानें हैं तब वारिस होने के नाते सभी वारिसानों का हिस्सा संपत्ति में बनता है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार भी किया गया है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा यह कहा गया है कि वारिसानों के मध्य संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। प्रकरण में यह तथ्य कि उभयपक्षों के मध्य बंटवारा हुआ है या नहीं साक्ष्य की विषयवस्तु है जिसे उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही निर्णीत किया जा सकता है।
- 7. वादी ने आवेदन के माध्यम से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि के अंतरण के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

8. सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति:-

वादी द्वारा आवेदन में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि के अंतरण के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा न दिये जाने पर अपूर्णीय क्षति होने की बात कही है। सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि अस्थाई निषेधाज्ञा न दिये जाने के फलस्वरूप एक पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने से होने वाली हानि से अधिक हानि होना। प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने से प्रतिवादीगण को होने वाली हानि से अस्थाई निषेधाज्ञा न दिये जाने से वादी को होने वाली हानि अधिक है एवं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वादी अपने संपत्ति के उपभोग के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रह जायेगा एवं इससे वाद बाहुल्यता भी बढ़ने की संभावना है।

- 9. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में पाये जाने से वादी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण अथवा व्ययन किसी भी रूप से न करें।
- 10. उक्त आवेदन का व्यय निर्णय द्वारा निर्धारित होगा।
- 11. उक्त आवेदन का प्रभाव गुणागुण के आधार पर घोषित निर्णय पर नहीं पड़ेगा।

दिनांक— स्थान— अशोकनगर

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(अक्षत तायल) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के तृतीय अति. न्यायाधीश अशोकनगर (म.प्र.) (अक्षत तायल) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के तृतीय अति. न्यायाधीश अशोकनगर (म.प्र.)